भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
24.07.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 239 का उत्तर

रेलगाड़ी के लिए आपात कोटा

239. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 09-02-2011 को जारी किए गए वाणिज्यिक परिपत्र (सं. 2010/टीजी-I/14/पी) 2011 का 10 के अनुसार 20-04-24 को रेलगाड़ी संख्या 02570 के लिए प्राप्त आपात कोटा (ईक्यू) अनुरोधों को तीन महीने तक उत्तर रेलवे के वाणिज्यिक कार्यालय में रखा जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) दिल्ली मंडल में शयनयान श्रेणी में 20.04.24 से चलने वाली गाड़ी सं 02570 के लिए उन व्यक्तियों की सूची क्या है जिनके लिए ईक्यू जारी किया गया था;

(ग) पालक्काड मंडल में 17.04.24 से चलने वाली रेलगाड़ी संख्या 12602 के लिए श्रेणी 2ए में ईक्यू हेतु अनुरोध करने वाले व्यक्तियों की आधिकारिक पदनाम सहित सूची क्या है; और

(घ) उन व्यक्तियों की सूची क्या है जिनके लिए ईक्यू जारी किया गया था और पालक्काड मंडल में श्रेणी 2ए में 17.04.24 से चलने वाली रेलगाड़ी संख्या 12602 के लिए उन्हें किसके ईक्यू अनुरोध के तहत सीट जारी की गई थी?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

s.k

रेलगाड़ी के लिए आपात कोटा के संबंध में दिनांक 24.07.2024 को लोक सभा में श्री माथेश्वरन वी. एस. के अतारांकित प्रश्न सं. 239 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): उच्च पदाधिकारी मांगपत्र (एचओआर) धारकों (जिनमें केंद्र सरकार के मंत्री, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीश), माननीय संसद सदस्य शामिल हैं, की तत्काल यात्रा संबंधी आवश्यकताओं और अन्य आकस्मिक मांगों को पूरा करने के लिए गाड़ियों की विभिन्न श्रेणियों में आपातकालीन कोटे के तहत शायिकाओं/सीटों की सीमित संख्या निर्धारित की गई है। यह कोटा 'वारंट ऑफ प्रीसिडेंस' के आधार पर और लंबे समय से अनुसरण की जा रही सुनिर्धारित परिपाटी के अनुसार प्राथमिकता के अनुसार जारी किया जाता है। गाड़ियों में स्थान के आबंटन के समय, 'वारंट ऑफ प्रीसिडेंस' में पारस्परिक-वरिष्ठता का कड़ाई से अनुपालन करते हुए स्वयं यात्रा करने वाले एचओआर धारकों/संसद सदस्यों आदि के लिए सर्वप्रथम आपातकालीन कोटा आबंटित किया जाता है। इसके बाद, विभिन्न वर्गों से प्राप्त अन्य मांगपत्रों पर विचार किया जाता है और शेष कोटा यात्रियों का सरकारी ओहदा, सरकारी ड्यूटी पर यात्रा करने जैसी तात्कालिकता, परिवार में शोक, बीमारी, नौकरी के लिए साक्षात्कार, जैसे विभिन्न कारकों आदि को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है। चूंकि विभिन्न वर्गों से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त होते हैं और दैनिक आधार पर उन पर कार्रवाई की जाती है, इसलिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, आपातकालीन कोटा से स्थान जारी करने संबंधी अनुरोधों का ब्यौरा ही सुरक्षित रखा जाता है।

*****

s.k